न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया (म.प्र.)

प्रकरण कमांक 277/अ-2/2015-16

श्री प्रेमनारायण शिक्षा प्रसार समिति ग्वालियर द्वारा कोषाध्यक्ष श्रीमती अभिलाषा श्रीवास्तव पत्नि श्री राजेश श्रीवास्तव नि. ग्वालियर

.... आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन अनावेदक

(आदेश दिनांक 28/9/16 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि **श्री प्रेमनारायण शिक्षा प्रसार समिति ग्वालियर द्वारा कोषाध्यक्ष श्रीमती अभिलाषा श्रीवास्तव पत्नि श्री राजेश श्रीवास्तव नि. ग्वालियर के** सर्वे कमांक **598, 599, 608 कुल किता 3 कुल रकवा 1.06 आरे में से रकवा 0.40 आरे** क्षेत्रफल **43560**, वर्गफुट में मौजा **सीतापुर शैक्षणिक प्रयोजन** हेतु म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-172 के तहत् आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि का कृषि भिन्न आशय में परिवर्तित करवाना चाहा गया है।

प्रकरण में इश्तहार जारी किया गया । संबंधित विभागो को अन्दर म्याद अभिमत बावत लिखा गया । ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ती प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया ।

राजस्व निरीक्षक डायंसर्वन से स्थल प्रतिवेदन लिया गया । जिसमें प्रश्नाधीन कृषि भूमि है । प्रकरण में भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (क) व 172 (4) के अनुसार **भू-भाटक 1712/- प्रतिवर्ष 2015-16** से तथा **प्रीमियम रूपये 8560/- एवं उपकर रूपये 856/-** का प्रस्ताव प्रतिवेदन में दिया है। मेरे द्वारा प्रकरण पत्रिका एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा दस्तावेजो का परिशीलन किया गया।

अतः म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 55(2) 59(क) 59(2) 59(5) 174(4) के मौजा **सीतापुर** सर्वे कमांक **598, 599, 608 कुल किता 3 कुल रकवा 1.06 आरे में से रकवा 0.40 आरे** क्षेत्रफल **43560** वर्गफुट भूमि कृषि भिन्न आशय से **शैक्षणिक प्रयोजन** में परिवर्तित किया जाकर इस भूमि का पुनः निर्धारण **भू-भाटक 1712/- प्रतिवर्ष 2015-16 से** तथा **प्रीमियम रूपये 8560/- एवं उपकर रूपये 856/-** रूपये अधिरोपित किया जाता है तथा **आवासीय प्रयोजन** हेतु कृषि भिन्न आशय से व्यपवर्तन की अनुमति निम्न शर्तो के साथ दी जाती हैः-

1- आवेदक सक्षम प्राधिकारी से नक्शा अनुमोदित कराकर तथा निर्माण कार्य की विधिवत अनुमति प्राप्त कर ही निर्माण कार्य करेगा।

2- आवेदक संबंधित या निकट के सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी छोडकर तथा संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही निर्माण कार्य करेगा । आवेदक को संबंधित निकाय/नगर पंचायत/ग्राम पंचा. द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन करना होगा

3- अभिन्यास सक्षम कार्यालय से अनुमोदन कराना होगा।

4- आवेदित भूमि पर अगर कोई हरा बृक्ष खडा हो तो बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न काटा जावे।

5- व्यपवर्तन की स्वीकृति मात्र **शैक्षणिक प्रयोजन** हेतु दी जा रही है अन्य प्रयोजन के लिए अनुज्ञा मान्य नही होगी। भू-भाटक रूपयें **भू-भाटक 1712/- एवं उपकर 856/- रूपये** आदेश दिनांक अर्थात बर्ष 2016-17 से प्रतिवर्ष चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

6— आवेदक को परिवर्तित भू भाटक रूपये. 1712/— तथा **प्रीमियम रूपये 8560/—** की राशि चालान द्वारा जमा कर 7 दिवस में चालान की प्रति पेश करना होगी।

7— सार्वजनिक बाधा उत्पन्न नही करेगा जिसमें आम रास्ता रोकना, पानी, मल, आदि की निकासी सार्वजनिक स्थान पर किया जाना आदि सम्मिलित है।

8— उपरोक्त शर्तो में किसी भी शर्त का उल्लंघन होने एवं सिविल न्यायालय में कोई विपरीत आदेश प्राप्त होने की दशा में व्यपवर्तन की अनुज्ञा निरस्त की जा सकेगी।

आज दिनांक 28/9/16 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग दतिया

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग दतिया

प्रतिलिपि :—

1—तहसीलदार तहसील दतिया की ओर सूचनार्थ ।
2—अधीक्षक भू—अभिलेख दतिया की ओर सूचनार्थ ।
3—पटवारी हल्का **सीतापुर** की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4—संवंधित **श्री प्रेमनारायण शिक्षा प्रसार समिति ग्वालियर द्वारा कोषाध्यक्ष श्रीमती अभिलाषा श्रीवास्तव पत्नि श्री राजेश श्रीवास्तव नि. ग्वालियर** की ओर पालनार्थ।
5—शाखा प्रभारी डब्लू0डी0एन0 शाखा तहसील दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग दतिया

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग दतिया